



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 987) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

26 अगस्त 2015

सं0 11/एम0(स्वा0)-14/2013-716(11)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, मलेरिया निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति, एवं सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।— (1) यह नियमावली "बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ** ।— जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-
(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;
(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार ;
(v) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;
(vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग;
(vii) 'रिक्ति वर्ष' से अभिप्रेत है 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि; तथा
(viii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।
- संवर्ग का गठन** ।— बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- संवर्ग का पदसोपान** ।— इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट - 1 के अनुसार होंगे।
- भर्ती** ।— इस संवर्ग की नियुक्ति मूल कोटि (मलेरिया निरीक्षक) के पद पर सीधी भर्ती, से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. **अर्हताएँ** ।— (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष होगी।
 (2) बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।
 (3) संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट मानी जायेगी।
7. **भर्ती की प्रक्रिया** ।— (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।
 (2) बिहार कर्मचारी चयन आयोग (परीक्षा संचालन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्तियों में इन अधियाचित रिक्तियों को जोड़ेगा और तदनुसार इन अधियाचित रिक्तियों को भी विज्ञापित करेगा। परीक्षा की प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम अवधारित आयोग करेगा।
 (3) आयोग स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा और मेधासूची तैयार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाण-पत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराएगा और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप, आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाण-पत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।
 (4) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
8. **परिवीक्षा अवधि** ।— नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए गुण दोष के आधार पर किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे मलेरिया निरीक्षक को सेवामुक्त कर सकेगा। इस प्रयोजनार्थ कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी सेवा समाप्ति का सकारण आदेश लिखित रूप उन्हें संसूचित किया जायेगा।
9. **प्रशिक्षण** ।— परिवीक्षा अवधि में मलेरिया निरीक्षक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।
10. **विभागीय परीक्षा** ।— (1) मलेरिया निरीक्षक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
 (2) प्रथम वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतनवृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाय।
 (3) बिहार कम्प्यूटर सक्षमता नियमावली, 2010 के प्रावधान इस संवर्ग पर लागू होंगे।
11. **सम्पुष्टि** ।— परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मलेरिया निरीक्षक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
12. **वरीयता** ।— मलेरिया निरीक्षकों की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अवधारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।
13. **प्रोन्नति के सोपान** ।— (1) सेवा में सम्पुष्ट मलेरिया निरीक्षकों को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
 (2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
 (3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0 ए0 आर0 संबंधी आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।
14. **विभागीय प्रोन्नति समिति** ।— प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।
15. **आरक्षण** ।— नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार के आरक्षण नियमों तथा आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. **परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पदसोपान** सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पदसोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का भाग माना जायेगा।
17. **परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।**
18. **अवशिष्ट मामले** ।— इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. **निर्वचन** ।— यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।
20. **कठिनाई का निराकरण** ।— यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् ऐसे सामान्य या विशेष आदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हों द्वारा किया जा सकेगा।
21. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।— (1) पूर्व निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन लिया गया कोई निर्णय या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कुछ किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट — 1

[नियम 2 (viii), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]
बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग का पदसोपान/कोटि।

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	मलेरिया निरीक्षक	
2.	प्रथम सोपान	वरीय मलेरिया निरीक्षक	
3.	द्वितीय सोपान	मलेरिया निरीक्षक पर्यवेक्षक	
4.	तृतीय सोपान	वरीय मलेरिया निरीक्षक पर्यवेक्षक	

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड—पे वही होगा जो सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

26 अगस्त 2015

सं0 11/एम0(स्था0)—14/2013—717(11) अधिसूचना संख्या 716(11) दिनांक 26 अगस्त 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 26th August 2015

No. 11/एम0(स्वा0)—14/2013—716(11)—In exercise of powers conferred by proviso to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate appointment and service conditions in the Malaria Inspector Cadre under the Health Department.

1. Short title, extent & commencement. - (1) These Rules may be called as the “Bihar Malaria Inspector Cadre Rules, 2015.”

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Definitions. - In these Rules, unless otherwise required in the subject or context.

- (i) 'Government' means Bihar State Government ;
- (ii) 'Department' means Health Department ;
- (iii) 'Commission ' means Bihar Staff Selection Commission;
- (iv) 'Appointing Authority' means Director-in-Chief, Health Services, Bihar;
- (v) "Directorate" means Directorate, Health Services, Bihar;
- (vi) "Cadre" means The Bihar Malaria Inspector Cadre;
- (vii) "Vacancy Year" means the period from 1st April to 31st March; and
- (viii) "Appendix" means appendix appended to these Rules.

3. Constitution of cadre. - The Bihar Malaria Inspector Cadre shall be State level. In this cadre, number of posts in every category and total number of posts of the cadre shall be as many as are sanctioned by the Government, from time to time.

4. Chain of Posts of the cadre. - Different categories/chain of posts of this cadre shall be according to appendix-1.

5. Recruitment. - Appointment of this cadre shall be, by direct recruitment, to the posts (Malaria Inspector) of basic category on the basis of recommendation of the Commission.

6. Qualifications. - (1) For appointment, by direct recruitment, to the posts of basic category minimum educational qualification shall be Graduate in Science or its equivalent faculty from a recognized University.

(2) For direct recruitment in the Bihar Malaria Inspector Cadre, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category-wise, by the Government, from time to time.

(3) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of Recruitment. - (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category-wise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) The commission shall add these requisitioned vacancies in the vacancies for Graduate Level Competitive Examination according to Bihar Staff Selection Commission (Conduct of Examination) Rules, 2010 and accordingly advertise these requisitioned vacancies also. The Commission shall determine the procedure and syllabus of Examination.

(3) The Commission shall prepare the merit list on the basis of result of the Graduate Level Combined Competitive Examination and after preparation of merit list, shall cause preliminary scrutiny of the Certificates and medical check-up with the co-operation of the Appointing Authority, and thereafter shall send reservation category-wise final recommendation in accordance with the requisitioned vacancies to the Appointing Authority. At the level of the Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(4) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

- 8. Probation period.** - After appointment, the candidates will be on probation. Probation period will be of two years. In case of the service not found satisfactory during probation period, the probation period may be extended on the basis of merit for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate the service of such Malaria Inspector. No notice is required to be given for that purpose. A reasoned order of termination from service will however be communicated to him in writing.
- 9. Training.** - During probation period, the probationer Malaria Inspector shall have to successfully complete such training as may be determined by the Department.
- 10. Departmental Examination.** - (1) The Malaria Inspector shall have to pass the departmental examination held by The Department. The syllabus of departmental examination will be determined by the Department.
(2) Further increment after the first increment will be admissible only after, passing the prescribed departmental examination.
- 11. Confirmation.** - On being satisfactory service in the probation period, successful completion of training and passing of departmental examination, a Malaria Inspector may be confirmed in the service.
- 12. Seniority.** - The inter-se seniority of Malaria Inspector shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.
- 13. Chains of Promotion.** - (1) Subject to availability of vacancy, confirmed Malaria Inspectors may be considered to be promoted according to the merit cum-seniority.
(2) For promotion, compliance of instructions with respect to "KALAWADHI" issued by the Government, from time to time, shall be necessary.
(3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and character Roll/P.A.R., allegation/departmental proceedings/ criminal proceedings etc., shall be required at the time of consideration of promotion.
- 14. Departmental Promotion Committee.**- Promotions may be considered on the basis of recommendations of the Departmental promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.
- 15. Reservation.** - It shall be necessary to comply the Rules of Reservation of the Government and reservation roster in recruitment and Promotion.
- 16.** The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any change or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be changed or amended accordingly and such changed /amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.
- 17.** The personnel already appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in Appendix-1, before coming into force of these Rules shall be deemed to be automatically included in this cadre.
- 18. Residue matters.** - The subjects for which The Provisions have not been made in these Rules, The provisions of concerned codes/Rules/ Resolutions/Instructions of the Government shall apply.
- 19. Interpretation.** - If any difficulty arises with respect to the interpretation of any provision of these Rules, it shall be determined by the Department and in consultation with the Law department and in this respect decision of the department shall be final.
- 20. Removal of difficulties.** -If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the may remove such difficulty by general or special order which is not

inconsistent with the provisional of these Rules after consultation of the Law Department.

21. Repeal & Savings. - (1) The Rules, Resolutions, Instructions, orders etc. issued earlier, are here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any decision taken or any action taken under the said Rules, resolutions, orders, instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as of that these Rules, were in force on the date on which such a thing was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Joint Secretary to Government.

Appendix - 1

[See Rule 2 (viii), 4, 13, 16, 17]

Chain of posts/categories in Bihar Malaria Inspector Cadre

Sl. No.	categories	Name of Posts	Remarks
1-	Basic category	Malaria Inspector	
2-	First Chain of post	Senior Malaria Inspector	
3-	Second Chain of Post	Malaria Inspector Supervisor	
4-	Third Chain of Post	Senior Malaria Inspector Supervisor	

Note :- The Pay Band and Grade Pay of all aforesaid categories shall be the same as may be determined by the Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 987-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>